# FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

सुरेन्द्र पुत्र श्री रामपत जाति अहीर निवासी डूमरोली तह0 नीमराना

भीमसिंह पुत्र श्री रामपत जाति अहीर निवासी डूमरोली तह0 नीमराना

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट मु0न0 117 /2024

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 30-5-24 आज यह प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है।<br>अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1139, 1157 वाके ग्राम डूमरोली तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान में वादीगण/प्रार्थी के हक व हिस्से पर किसी तरह की मजाहमत पैदा न करे, बाधा कारित न करें एवं निर्माण कार्य न करें। क्यौना उक्त आदेश ताफैसला वाद सम्पुष्ठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 नोटिस तलवाना से तलब हो। प्रार्थी रजि0 तलवाना पेश करे। प्रार्थी यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहता है तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 27-6-24 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़) | |

| तारीख हुक्म | | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 6-5-25 | आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली में अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना से तलब हो। प्रार्थी के वकील द्वारा रजिस्टर्ड नोटिस तलबाना पेश करे। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी दिनांक 25-6-25 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) | |
| 25-6-25 | आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित है। तलबी का समय चाहते है। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी दिनाँक 1-9-25 को पेश है।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) | |
| 1-9-25 | आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल वाद अदम पैरवी अदम हाजरी हाजरी में खारिज हो चुका है। अतः प्रा०पत्र इसी स्टेज पर अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली मिसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूल वाद हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) | |